

**कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR, राजस्थान**

क्रमांक: DEO(HO) SEC/JPR/L-5/2025/1473 दिनांक 24.01.2025  
सचिव  
प्रबंध समिति

Evolution International School

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 51450 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, Evolution International School पता Vastu Shri, Mangayawas, PRN-South, Sector - G, Mangayawas, Mansarovar ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SANGANER CITY(Greater Jaipur) लॉक SANGANER CITY(U) आसा पासा (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण ) 55 खसरा नं. 54 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हैः-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	Evolution International School
स्वीकृत नवीन नाम	THE SHRI RAM UNIVERSAL SCHOOL


जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक जयपुर

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्त्रति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिमेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहाँ स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबम्बों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबम्बों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्राप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्त्रति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्त्रति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावें, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

  
जिला शिक्षा विभाग (जिला शिक्षा और अधिकृत विद्यालय)  
मुख्यालय संघर्ष समिक्षा विभालय  
माध्यमिक जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (युप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

  
जिला शिक्षा विभाग (जिला शिक्षा और अधिकृत विद्यालय)  
मुख्यालय माध्यमिक  
माध्यमिक जयपुर

(नियम 8 क का उप-नियम (4) देखिए)

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/ 183 /2016

दिनांक 18/3/17

संस्था सचिव,  
एवोल्यूशन इन्टरनेशनल स्कूल,  
वास्तु श्री, मांग्यावास,  
न्यू सांगानेर रोड, जयपुर

विषय:- नियम 8-क के उप-नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2016 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी, संस्था – कुलगुरु शिक्षण सहकारी समिति द्वारा संचालित एवोल्यूशन इन्टरनेशनल स्कूल, वास्तु श्री, मांग्यावास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर को सत्र 2016–17 से कक्षा VI से VIII तक के लिए (अंग्रेजी माध्यम) RTE की मान्यता मंजूर करता हूँ।


1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्भित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक ऑस-पडॉस के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा –3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

सचिव श्रीकालान-चाधा

कुलगुरु शिक्षण सहकारी समिति  
मांग्यावास, सांगानेर, जयपुर

*Omendra*  
PRINCIPAL  
Evolution International School  
Jaipur

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं0 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/JPR2016-17/0068 दिनांक 11.5.2016) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना, सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।



जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

*Shantilal Patel*

सचिव

कुलगुरु शिक्षण सहकारी समिति  
मांगावास, सांगानेर, जयपुर

*Omendra*  
PRINCIPAL  
Evolution International School  
Jaipur

## प्रारूप-2

(नियम 8 का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जि.इआ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/ ३५७ / २०१५

दिनांक:- २०/४/१५

संस्था सचिव

एवोल्यूशन इंटरनिशनल स्कूल  
'वास्तु' संग्रामावास, न्यू लांगनेर ग्रोड,  
जयपुर

विषय :- नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र दिनांक ३०/४/१५ और इस संबंध में विद्यालय के साथ किए गए पश्चात्यावर्ती व्यवहार/नियोजन के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी, (अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम) (विद्यालय का नाम और पता) एवल्यूशन इंटरनिशनल स्कूल, 'वास्तु' संग्रामावास, न्यू सांगनेर ग्रोड, जयपुर को सत्र 2016-17 से कक्षा I से V<sup>th</sup> तक के लिए मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. सालाह के लिए क्षेत्री विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई वाध्यता उत्पन्न नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा-4 में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक ऑस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैसा-3 से निर्धारित बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक स्थानीय बैंक खोता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई ग्रतिव्यक्ति की संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या असके साता-पिता या संरक्षक को किसी छठाइ प्रक्रिया का लाभ नहीं बनायेगा।

ग्रंथालय पर्याप्त

6. विद्यालय आप के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की पारा-5 के उपबन्धों समिलन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

कुलगुरु शिक्षण संहकार समिति  
मांग्रामावास, सांगनेर, जयपुर

PRINCIPAL  
Evolution International School  
Jaipur

a. विद्यालय से प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

b. कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा।

c. किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा।

d. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा—अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

e. 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्णायकता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित विद्या जाये :

अधिनियम 2, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताएँ सहित भर्ती किये जायें :

परन्तु चर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी अर्हताएँ अर्जित करेंगे ;

2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों को भरते हैं ; और

स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

स्वयं खुल्ये प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यिकारण का अनुसरण करेंगे।

2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा—विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :— (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र—प्रपत्र 1)

### स्वयं परिसर का क्षेत्र

#### निर्मित क्षेत्र

स्वयं निर्मित के मैदान का क्षेत्र

कक्षों के कमरों की संख्या

प्राप्ति एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष

प्राप्ति और लड़कियों के लिए पृथक—पृथक शौचघर

संचिव पानी की सुविधा

कुलगुरु शिक्षण सहकारी प्रबन्धित के लिए रसोई

मांग्यावास, सांगानेस, जयपुर

*Zone*  
PRINCIPAL  
Evolution International School  
Jaipur

- ८. अवरोध मुक्ता पहुंच
- ९. अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-वृद्ध उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।
- १०. विद्यालय प्रिस्टर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जाएंगी।
- ११. विद्यालय सबन या अन्य संरचनाएं या संदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जायेंगी।
- १२. विद्यालय, किसी व्यावित्त, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।
- १३. किसी चार्टर एकाउटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार सुनिश्चित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। इत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
- १४. आपका विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/JPR/2015-16/...0139....) है। कृपया इस प्रोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र छवहार के लिए इसे उत्क्षित किया जाये।
- १५. विद्यालय, ऐसी प्रिस्टर और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और सच्च, सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का धालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा बरतने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
- १६. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
- १७. अस्य शर्तों संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

*Signature*  
PRINCIPAL  
Evolution International School  
Jaipur

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

*Signature*  
मुख्य नियन्त्रण  
कुलपुरुष शिक्षण सहकारी समिति  
माध्यमिक सांगानेर, जयपुर